राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर

क्रमांक :– एफ–4/परीक्षा विविध/2020/1764–1963 दिनांकः– 22/6/2020

प्राचार्य/केन्द्रधीक्षक
समस्त सम्बद्ध परीक्षा केन्द्र,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः–परीक्षा - 2020 के सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन कोरोना (COVID - 19) के दिशा–निर्देशों की पालना के लिये शपथ पत्र।

महोदय,

परीक्षा - 2020 के सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन में परीक्षा केन्द्रों पर कोरोना महामारी COVID - 19 के लिए भारत/राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार परीक्षा का आयोजन करवाना अपेक्षित है इसलिये विश्वविद्यालय के सम्बद्ध परीक्षा केन्द्रों के केन्द्रोंधीक्षक एवं प्राचार्य द्वारा नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर रूपये 100/– पर शपथ पत्र (जो नोटरी पब्लिक/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित हो। परीक्षा केन्द्रों का कोरोना महामारी (COVID - 19) के दिशा – निर्देशों की पूर्णतः पालना की जायेगी। अतः संलग्न शपथ पत्र का प्रारूप विश्वविद्यालय को 5 दिवस में प्रेषित करवाने की व्यवस्था करे।

संलग्नः– 1. कोरोना महामारी के बचाव के दिशा निर्देश।
2. शपथ पत्र का प्रारूप।

22/6/2020
परीक्षा नियंत्रक

राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर

दिशा– निर्देश

प्राचार्य/केन्द्रधीक्षक समस्त सम्बद्ध परीक्षा केन्द्र,राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, परीक्षा – 2020 के सैद्वान्तिक/प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन में कोरोना महामारी COVID - 19 के बचाव के लिए आवश्यक दिशा– निर्देशः–

I. सभी परीक्षार्थियों एवं स्टॉफ के चेहरे पर मास्क पहनना आवश्यक होगा। बिना मास्क के परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

II. परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों को दो गज की सामाजिक दूरी (Social Distancing) के अनुरूप बैठाने की व्यवस्था रहेगी और परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र में आने एवं जाने के समय एवं परिसर में भी सामजिक देरी की पालना की जायेगी।

III. परीक्षार्थियों को परीक्षा से एक घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश की अनुमति दी जावे ताकि थर्मल स्कैनिंग, दूरी (Social Distancing) सेनेटाईजिंग आदि की व्यवस्था परीक्षा केन्द्र द्वारा समय पर की जा सके।

IV. परीक्षा केन्द्र के प्रवेश एवं निकासी बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्केनिंग, हेण्डवॉश और सैनेटाईजर की व्यवस्था करवानी होगी। प्रत्येक परीक्षार्थी की थर्मल स्केनिंग,हेण्डवॉश और सैनेटाईजर होनें के पश्चात् ही केन्द्र पर अनुमति दी जायेगी।

V. सम्पूर्ण परीक्षा केन्द्र मे आम सुविधा और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजों के हैण्डल टेबल, कुर्सी अन्य सभी फर्नीचर आदि को परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व परीक्षा कक्ष को प्रति दिन एवं प्रत्येक पारी में सैनेटाईज करवाना होगा।

VI. परीक्षार्थियों की पेयजल की व्यवस्था कक्षा – कक्ष में सीट पर उपलब्ध करवाया जायेगा।

VII. परीक्षा केन्द्र की परिधि में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा से सम्बन्धित स्टॉफ के अलावा अन्य सभी को प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

VIII. परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर हैण्डवॉश के लिये पर्याप्त पानी, साबुन और सैनेजाईजर की सुनिश्चिता की जायेगी।

IX. कोविड – 19 महामारी से संक्रमण के बचाव हेतु भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश (एडवाईजरी) की पालना सभी परीक्षार्थियों/विश्वविद्यालय कर्मियों/महाविद्यालयों को करनी होगी।

22/6/2020

परीक्षा नियंत्रक

शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री .... आयु .... पद .... प्राचार्य एवं केन्द्राधीक्षक कॉलेज का नाम .... के शपथ पूर्वक बायन करता हूँ/करती हूँ की परीक्षा – 2020 के परीक्षा केन्द्रों के लिये आवश्यक दिशा निर्देश (COVID - 19) की पालना की जायेगी।

1. सभी परीक्षार्थियों एवं स्टॉफ की थर्मल स्क्रेनिंग का तापमान सामान्य होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी और तापमान असामान्य होने पर परीक्षा में सम्मिलित नही करने की पालना की जायेगी।

2. सभी परीक्षार्थियों एवं स्टॉफ को चेहरे पर मास्क पहनना आवश्यक होगा। बिना मास्क के परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं देने की पालना की जायेगी।

3. परीक्षा केन्द्र में सामाजिक दूरी (Social Distancing) 2 गज की दूरी के अनुरूप बैठने की व्यवस्था रहेगी और परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र में आने एवं जाने के समय एवं परिसर में भी सामाजिक दूरी की पालना की जायेगी।

4. परीक्षा केन्द्र के प्रवेश एवं निकासी बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों मे थर्मल स्केनिंग, हेण्डवॉश और सैनेटाईजर की व्यवस्था होगी। प्रत्येक परीक्षार्थी की थर्मल स्केनिंग, हेण्डवॉश और सैनेटाईजर होने के पश्चात् ही केन्द्र पर अनुमति की पालना की जायेगी।

5. सम्पूर्ण परीक्षा केन्द्र में आम सुविधा और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजों के हैण्डल और टेबिल, कुर्सी सभी परीक्षा प्रारम्भ से पूर्व सैनेजाईजेशन करने की पालना की जायेगी।

6. परीक्षार्थियों की पेयजल की व्यवस्था कक्षा–कक्ष में सीट पर उपलब्ध करवाया जाने की पालना की जायेगी।

7. परीक्षा केन्द्र की परिधि में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा से सम्बंधित स्टॉफ के अलावा अन्य सभी को प्रवेश की अनुमति नही देने की पालना की जायेगी।

8. परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर हैण्डवॉश के लिये पर्याप्त पानी, साबुन और सैनेजाईजर की व्यवस्था करवाये जाने की पालना की जायेगी।

9. कोरोना (COVID - 19) के लिये भारत सरकार/राज्य सरकार के द्वारा समय – समय पर जारी दिशा–निर्देश (एडवाईजरी) की पालना की जायेगी।

शपथ ग्रहिता

मै प्राचार्य एवं केन्द्राधीक्षक .... शपथ पूर्व तस्दीक करता हूँ/ करती हूँ कि शपथ पत्र में दर्ज संख्या 1 से 9 एवं राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय द्वारा अन्य दिशानिर्देशों की पालना मेरे परीक्षा केन्द्र द्वारा की जायेगी।

शपथ ग्रहिता